मण्डलः—वाराणसी, जनपदः—गाजीपुर, तहसीलः—जखनियां, गाजीपुर

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्याः—479/2022

सुदामी देवी

हंसा यादव   बनाम   गांव सभा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्याः— T192014290000662

अन्तर्गत धाराः— 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता—2006

आदेश तिथिः— 03/08/2022

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद प्रार्थी बाल गोपाल ट्रस्ट, ग्राम—मधुबन, पोस्ट—मलिकपुरा, परगना—शादियाबाद, तहसील—जखनियां, गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी हंसा यादव पत्नी श्री गोपी सिंह यादव, ग्राम—मधुबन, पोस्ट—मलिकपुरा, परगना—शादियाबाद, तहसील—जखनियां, जिला—गाजीपुर के नाम से वर्तमान खतौनी सन् 1422 से 1427 फ0 मौजा—ओझीपुर, परगना—शादियाबाद, तहसील—जखनियां, जिला—गाजीपुर की खाता सं0—00008 के आ0नं0—245 रकबा 0.3200हे0, आ0नं0—287, रकबा 0.6990हे0 में से 0.821हे0 इस प्रकार कुल रकबा 0.8210हे0, यानि 8210 वर्गमीटर भूमि उ0प्र0 रा0स0 2006 की धारा—80(1) के तहत् अकृषिक घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की स्थलीय/अभिलेखीय जाँच तहसीलदार जखनियां, गाजीपुर से करायी गयी। तहसीलदार जखनियां की जाँच रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 में उल्लेखित है कि मौजा—ओझीपुर, परगना—शादियाबाद, तहसील—जखनियां, जिला—गाजीपुर के खाता सं0—00008 के आ0नं0—245 रकबा 0.3200हे0, आ0नं0—287, रकबा 0.6990हे0 में से 0.821हे0 इस प्रकार कुल रकबा 0.8210हे0, यानि 8210 वर्गमीटर भूमि अभिलेख में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। आवेदक अपने उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं करता है और न ही जोती—बोई जाती है। प्रश्नगत दोनों गाटा सं0—245 व 287 से सम्पूर्ण रकबा 0.821 हे0 भूमि पर आवेदक द्वारा पक्का मकान बनाकर विद्यालय व चहारदीवारी के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, गाजीपुर में चालान सं0—88 दिनांक 12.08.2022 को मु0 रू0 25,270/— मैजर हेड 0029 में व दिनांक 12.08.2022 को मु0 रू0 1,000/— मैजर हेड 0030 में तथा मु0 रू0 25,270/— कोर्ट फीस के रूप में कुल राशि मु0 रू0 55,700/— भू0राजस्व के खाते में जमा की गयी है। चालान पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गाटा सं0—245 व 287 से सम्पूर्ण रकबा 0.821 हे0 भूमि पर मकान व बाउण्ड्रीवाल बनी है, जो व्यवसायिक रूप में प्रयोग की जाने हेतु प्रस्तावित है। जिस पर कृषि सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार वाद निर्विवाद प्रतीत होता है तथा धारा—80(1) में उल्लेखित शर्तें पूरी हो रही हैं, जिसका अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा—ओझीपुर, परगना—शादियाबाद, तहसील—जखनियां, जिला—गाजीपुर की गाटा सं0—245 व 287 से सम्पूर्ण रकबा 0.821 हे0 भूमि उ0प्र0 रा0स0 2006 की धारा—80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। मा0मु0रू0 1075/— से अवमुक्त किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी होवे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक—

उपजिलाधिकारी
जखनियां, गाजीपुर।

आदेश दिनांक 03.08.2022 को न्यायालय परिसर में सुनाया गया।

दिनांक —

उपजिलाधिकारी
जखनियां, गाजीपुर।